रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 564] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 1982/पौष 10, 1904
No. 564] NEW DELHI, FRIDAY, DEC. 31, 1982/PAUSA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1982

का. आ. 869(अ).—मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का 47) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 और 9 के प्रवर्तन के प्रवृत्त होने की तारीख 1982 के दिसम्बर महीने की दस तारीख निर्धारित करती है ।

[संख्या टी. जी. एम. (19)/82]
गोस्वन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1982

S.O. 869(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 1982 (47 of 1982), the Central Government hereby appoints the 10th day of December, 1982, as the date on which the provisions of sections 8 and 9 of the said Act, shall come into force.

[No. TGM(19)|82]
G. J. MISRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1982